**न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर**

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

**प्रकरण संख्या 83/2018 (उदयपुर डिकी)**

अरविन्द सरूपरिया पुत्र स्वर्गीय श्री मनोहरलाल जी सरूपरिया, निवासी मकान नंबर 2, सेक्टर 11, हिरण मगरी, उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कालूलाल मीणा पुत्र श्री कानजी मीणा, निवासी मसारों की ओवरी, तहसील ऋषभदेव, जिला उदयपुर (राज.)
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा, जिला, उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0–1955 विरूद्ध निर्णय
एवं डिकी उपखण्ड अधिकारी गिर्वा
दिनांक 03.06.2017 प्र.सं. 122/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1. श्री यतेन्द्र दाधीच अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री रमेश नन्दवाना अभिभाषक रेस्पो.सं. 1
3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक

———:::———

निर्णय दिनांक

**26–04–2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्ट व अन्य के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सुरफलाया में आराजी नंबर 190 मीन रकबा 0.0400 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि धूलाराम पिता नानजी मीणा ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 17–04–2013 को कय की, तब से वादी का कब्जा चला आ रहा है। वादी अनुसूचित जनजाति का सदस्य होकर गरीब कृषक है, जिसके पास उक्त भूमि

के अलावा अन्य कोई भूमि नहीं है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजियात से कोई संबंध नहीं है, फिर भी वादी के शान्ति पूर्वक कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतएवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर दिनांक 3–6–2017 को वादी का वाद डिक्री किया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 3–6–2017 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 31–08–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी दिनांक 30–07–2018 को तब हुई जब वादी/रेस्पोन्डेन्ट ने उक्त आदेश की फोटो कापी अपीलान्ट के अधिवक्ता को प्रदान करायी। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया तो यह पाया कि राजस्व लोक अदालत के निर्णय व डिक्री की जानकारी अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 को होने की कोई साक्ष्य नहीं है। अतएवं प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पान्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री रमेश नन्दवाना उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमां में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि वाद वर्णित भूमि वर्ष 2002 में मूल रूप से आराजी नंबर 190 रकबा 0.1200 हैक्टर थी, जिसमें से तहसीलदार द्वारा 0.0800 हैक्टर भूमि का रूपान्तरण आदेश दिनांक 19–06–2003 को जारी किया, जिसके नये नंबर 190/1 बने, परन्तु इस नये आवासीय रूपान्तरण का इन्द्राज राजस्व नक्शे में नहीं किया गया, जिससे विवाद उत्पन्न हुआ। अपीलान्ट का उक्त भूमि में 177/800 वां हिस्सा है। अधिनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय त्रुटि पूर्ण है, क्योंकि प्रतिवादी मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 25–05–2015 को अमेरिकन हॉस्पिटल उदयपुर में हो चुकी थी, जिसकी जानकारी वादी/रेस्पोन्डेन्ट को होते हुए भी कोर्ट को भ्रमित कर डिक्री प्राप्त कर ली, जिसकी आड़ में वादी/रेस्पोन्डेन्ट अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा करना चाहता है। उक्त आदेश से मनोहरलाल जी के सभी वारिसान के हक प्रभावित हो रहे हैं। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे तथा मूलवाद की पत्रावली सभी वारिसान को रेकार्ड पर लेकर एवं सुनवाई का अवसर देकर निर्णय किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को लौटाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल की दिनांक 25–05–2015 को मृत्यु हो चुकी थी, जबकि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना उसके कायम मुकाम को रेकार्ड पर लिये दिनांक 03–07–2017 को राजस्व लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया, जो प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 03–06–2017 अपास्त की जाती है तथा

पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 मनोहरलाल के कायम मुकाम को रेकार्ड पर लेकर तथा उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 26–06–2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 26–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

# डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)**

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ..... .....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी व अन्य बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....गिर्वा..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07..... .....2016

## दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

## खर्चा अपील

| अपीलान्ट | रू0 | पै0 | रेस्पोन्डेन्ट | रू0 | पै0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. स्टाम्प अपील ... ..... .<br>2. स्टाम्प वकालत नामा .....<br>3. इजराय हुक्मनामा .. .....<br>4. वकील फीस बाबत .... .....<br>मीजान ..... | | | 1. स्टाम्प वकालत नामा...<br>2. स्टाम्प अर्जी ..... .....<br>3. इजराय हुक्मनामा . ....<br>4. मेहनताना वकील..... .....<br>मीजान . .... | | |

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।